रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि. वृत.....

श्रीमान,

वर्तमान जमाबंदी ग्राम पंचायत [illegible] सम्वत 2069-72 के खाता सं. 37 में परस पुत्र गुलाबी हि. 1/2 था जो [illegible] 549 में सूरन पुत्र हरमुल जाति हि. 1/2 के नाम [illegible] के नाम [illegible] रामजीलाल पुत्र गुलाबी के वारिसान महेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल, संजीवनी स्व. रामजीलाल शांति [illegible] लच्छो पुत्रियां रामजीलाल हि. 1/2 हि. अ. के नाम है। सैटलमेन्ट खतौनी के खाता सं. 140 में प्रसादीराम पुत्र रामजीलाल पि. गुलाबी हि. 1/36 दर्ज है। इससे पूरे खाते का हिस्सा दर्ज नहीं हो रहा है। मौजा खसरा नं. 700/0.05, 729/0.05, 730/0.05, 732/0.04, 733/0.05, 734/0.05, 735/0.05, 736/0.05, के नाम खा. के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 3 बी 4 बी/2 था। जमाबंदी सैटलमेन्ट 2035-2038 के खाता सं. 106 के मुताबिक प्रसादी रामजीलाल पि. गुलाबी हि. 2/36 था जो सैटलमेन्ट खतौनी में 1/36 दर्ज हो गया है। सैटलमेन्ट दर्ज जमाबंदी सं. 2035-38 के खाता सं. 106 के मुताबिक हि. 2/36 दर्ज करने पर खाता दर्ज हो जाता है। अतः 136 के तहत इकहती हेतु प्रकरण तैयार कर दिया है। अतः सूरन पुत्र हरमुल 1/36 एवं रामजीलाल पुत्र गुलाबी के वारिसान के नाम हि. 1/36 किया जाना प्रस्तावित है।

हरिशंकर शर्मा
भू-अभि० निरीक्षक
वृत्त [illegible] हिण्डौन

Sneha
सुश्री स्नेहा सोनगरा
पटवारी, पटवार मण्डल
[illegible] तह० हिण्डौन

कार्यालय तहसीलदार हिण्डौन सिटी (करौली)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

महोदय, 2298

प्रार्थी रिपोर्ट [illegible] तहसीलदार हिण्डौन सिटी (करौली) पटवारी रिकार्ड के आधार पर लिखा है कि जमाबंदी ग्राम पंचायत [illegible] सम्वत 2069-72 के खाता सं. 37 के दर्ज खातेदार का हिस्सा कायम जमाबंदी 2035-38 के खाता सं. 106 के दर्ज खातेदार का हिस्सा बाद मिलान जमाबंदी रिकॉर्ड हेतु धारा 136 LR Act में तैयार कर [illegible] निवारण अधिनियम वास्ते धारा [illegible] प्रस्तावित की जाकर स्थिति इस प्रकार है —

— सूरन पुत्र हरमुल हि. 1/36, रामजीलाल पुत्र गुलाबी के वारिसान हि. 1/36 शेष [illegible] मुताबिक जमाबंदी दर्ज हो।

तहसीलदार (एन.सी.)
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

आदेश

84
29/12/17 तहसीलदार हिण्डौन की अभिशंसा / रिपोर्ट पर यथा प्रस्तावित स्वीकृत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.13 15:01:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.) हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner